



पुलिस विभाग
जनपद चमोली

मैनुअल संख्या-15

सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियों, जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है।

मैनुअल संख्या-15

सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियों, जिकनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है।

पुलिस कार्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था नहीं है, किन्तु पुलिस कार्यालय के सूचना केन्द्र / सुविधा कक्ष में विभाग से सम्बन्धित पुस्तकों को रखा गया है। आम नागरिक किसी भी कार्य दिवस में समय 10 बजे से 5 बजे तक पुस्तिकाओं से विभाग से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

